सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 63/2015 अपील
पंजीयन दिनांक – 12.12.2014
निर्णय दिनांक – 03.04.2018

1. श्री भैरूलाल पिता बदा जी डामोर, निवासी सेलाणा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर

– अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमती जुमली पत्नी फुला जी डामोर, निवासी सेलाणा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर
2. श्री भगवाना पिता बदा जी डामोर, निवासी सेलाणा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, झाड़ोल, जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 49/2012, प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 24.06.2014

उपस्थितिः–

1. श्री मनीष शर्मा – वकील अपीलान्ट
2. श्री लोकेश जैन – वकील ररेस्पोंडेन्ट संख्या–1

निर्णय

दिनांक 03.04.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, झाड़ोल, जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 49/2012, प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 24.06.2014 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सैलाना, पटवार मण्डल माकडादेव में जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 82 पर दर्ज श्रीमती जुमली, रेस्पोंडेट संख्या 1 की खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 2619, 2620 कुल किता 2 कुल

रकबा 0.17 है. कुल लगान 0.76 रूपये स्थित है। रेस्पोडेंट एवं अपीलान्ट श्री भैरूलाल के भूमि के मध्य सीमाकंन नहीं होने से दोनों के मध्य निरन्तर विवाद होने से रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, झाडोल जिला उदयपुर समक्ष सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2014 से रेस्पोडेंट संख्या 1 की अपील स्वीकार कर विवादित स्थल का निरीक्षण करने तथा स्थाई सीमा चिन्हों से नपती कर पत्थरगढ़ी का निर्णय पारित किया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित, वकील रेस्पोंडेंट उपस्थित नहीं होने से वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 26.03.2018 को सुनी गई तथा वकील रेस्पोंडेंट को लिखित बहस पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। वकील रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 का उक्त भूमि पर कोई आधिपत्य ही नहीं है एवं काबिज नही है, तो किसी भी प्रकार की पत्थरगढ़ी कराने का प्रश्न ही उत्पन्न होता है। उक्त भूमि अपीलान्ट की अन्य भूमि के साथ मिली हुई है जिससे उक्त भूमि पर एकमात्र आधिपत्य अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या–2 का है, परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली अवलोकन फरमाये एवं बिना साक्ष्य का अवलोकन किये निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर पत्थरगढ़ी चाही है किन्तु चतुर्दिक सीमाओं के पड़ोसियों का पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट किस दिशा का पडौसी है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र कयासी आधार पर प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या–1 का उक्त भूमि पर काबिज नहीं होते भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश दिनांक 24.06.2014 विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा अपील मयाद बाहर होने से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत का निवेदन किया कि दिनांक 16.11.2014 को उक्त निर्णय की प्रति अपीलान्ट को प्रदान की गई परन्तु उक्त निर्णय पर नकल पेश करने दिनांक सेवन से 13. 11.2014 अंकित की गई। इस प्रकार नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसके पेश किये जाने में अपीलान्ट द्वारा जान–बूझ कर कोई देरी नहीं की गई।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं इस न्यायालय एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का गहनता से अध्ययन किया। पटवारी, पटवार मण्डल, माकडादेव द्वारा जारी नकल जमाबन्दी दिनांक 23.07.2012 श्रीमती जुमली, रेस्पोडेंट संख्या–1 कृषि भूमि आराजी नम्बर 2619, 2620 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 की रेकार्डेड खातेदार है, जिसे अपीलान्ट द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त भूमि तथा विपक्षी की भूमि के मध्य सीमाकंन नही होने से आपसी विवाद होता रहता है। कब्जे के प्रश्न पर दोनों पक्षों द्वारा अपना कब्जा बताया गया। इस स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमती जुमली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी कराने बाबत निर्णय दिनांक 24.06.2014 पारित किया गया जिसमें कोई विधिक त्रुटी किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर, झाड़ोल जिला उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2014 को बहाल रखा जाता है। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही हेतु सभी पक्षकारों को सूचित करें एवं उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करावें जिससे कोई विवाद नहीं हो।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर